



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122022-241362  
CG-DL-E-23122022-241362

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5778]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2022/पौष 1, 1944

No. 5778]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2022/PAUSHA 1, 1944

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6020(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, तमिल नाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री आर. शंकर, विशेष तहसीलदार, तमिलनाडु सरकार को, प्रतिनियुक्ति के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड के लिए दिनांक 16.09.2019 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 12.09.2019 की अधिसूचना संख्या सां.आ. 3305(अ) द्वारा पूर्व में अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी, श्री ए. सुंदरम, विशेष तहसीलदार (भूमि अधिग्रहण), तमिल नाडु सरकार को निरस्त किया जाता है।

3. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/21/2016-जीपी - II (ई-45203)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th December, 2022

**S.O. 6020(E).**—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri R. Sankar, Special Tehsildar, Government of Tamil Nadu to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 on deputation basis for all Natural Gas Pipeline Projects of M/s. GAIL (India) Limited in the State of Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry.

2. Earlier notified Competent Authority for M/s. GAIL (India) Limited in the State of Tamil Nadu and Union Territory of Puducherry, Shri A. Sundaram, Special Tehsildar (Land Acquisition), Government of Tamil Nadu, vide S.O. 3305(E) dated 12.09.2019 published in the Extraordinary Gazette of India dated 16.09.2019 stands de-notified.

3. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/21/2016-GP-II (E-45203)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.

\